


16.8.23. पेशावली पेश। वकील प्राथीगिण  
या प्राथीगिण स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार  
जोर-जोर से आवाज लगाने पर भी वकील  
प्राथीगिण या प्राथीगिण स्वयं कोई भी उपस्थित  
नहीं आये। अतः प्राथीगिण का यह प्रार्थना  
पत्र इसी स्वरूप पर आरम पैरवी-आइम एजिटी  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली बड़  
तरतीब तकरील केन्द्र राजिल इफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर शुके न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
(अमितabh विश्वाकर्मा)  
Rohit